



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

Website : www.hindivishwa.org

निविदा आमंत्रित

विश्वविद्यालय के छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास में मेस सुविधा हेतु निविदा

निविदा सं. : 34/CD/2024-25/Hostel Mess/**17**

दिनांक : 12.02.2025

निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	:	13 -02-2025 (पूर्वाहन 11.00 बजे से)
निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	17 -03-2025 (सायं 4.00 बजे तक)
तकनीकी निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	:	17-03-2025 (सायं 5.30 बजे)

ॐ टिप्पणी :

- वर्धा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक सेवा प्रदान कर चुकी फर्मों को वरीयता दी जाएगी।
- निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी, शर्तें एवं प्रपत्र (फार्म) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org एवं www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध हैं।
- निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि निविदा जमा करने से पूर्व सभी निविदाकर्ता कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लें कि वे निविदा प्रपत्र की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं। निविदा प्रपत्र व संलग्नकों के सभी पृष्ठों पर अधिकृत व्यक्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य है।

निविदा दस्तावेज शुल्क : रु. 1000/-


कुलसचिव



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

विश्वविद्यालय के मेस में भोजन की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

निविदा सं. 34/CD/2024-25/Hostel Mess/ 17

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास में भोजन व्यवस्था के लिए उचित दरों पर आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित कैटरर्स से सीलबंद लिफाफों में निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है –

कार्य की प्रकृति	निविदा दस्तावेज शुल्क	बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) (ब्याज मुक्त हस्तांतरणीय)	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि, समय एवं स्थान
भोजन की आपूर्ति	राशि 1000/- (एक हजार मात्र) (जो वापस नहीं होगा)	राशि 12,500/- (बारह हजार पाँच सौ मात्र)	17.03.2025, सायं 4.00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय, प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय परिसर वर्धा (महाराष्ट्र)	17.03.2025, सायं. 5.30 बजे कुलसचिव कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर वर्धा (महाराष्ट्र)
बयाना राशि (इ.एम.डी.) एवं निविदा दस्तावेज शुल्क की प्रकृति	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मात्र डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा, जो "वित्ताधिकारी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय" के पक्ष में वर्धा में देय हो। ❖ निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट कृपया अलग-अलग लिफाफे में संलग्न करें। 			
निविदाकर्ता के लिए आवश्यक सूचना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निविदा सीलबंद हो तथा निविदा के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास में भोजन की आपूर्ति हेतु निविदा, अंतिम तिथि 17.03.2025 लिखा हो। ❖ निविदाकर्ता को निम्नानुसार डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा धरोहर राशि (इ.एम.डी.) देनी होगी, जो ब्याज मुक्त हस्तांतरणीय होगी : <p>टिप्पणी: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के मामले में आवेदक फर्मों को बयाना राशि जमा करने से नियमानुसार छूट दी जाएगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा के किसी भी विषय में यदि वास्तविक निविदा दस्तावेजों से किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई गई, तो उसकी निविदा को रद्द कर दिया जाएगा एवं बयाना / सुरक्षा राशि जप्त की जाएगी। ❖ मुहरबंद निविदाएँ, कुलसचिव कार्यालय में गठित समिति के द्वारा खोली जाएगी। इच्छुक निविदाकर्ता या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (प्रत्येक फर्म से अधिकतम दो) उस समय वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। ❖ विश्वविद्यालय के पास बिना कारण बताए किसी भी मद या निविदा को रद्द करने के समस्त अधिकार सुरक्षित हैं। ❖ निविदा खुलने के दिन भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदा प्राप्ति, प्रस्तुति एवं खुलने की अंतिम तिथि अगला कार्य दिवस और समय रहेगा। 			

निविदा एवं संविदा के सामान्य नियम और शर्तें

1.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (एतद पश्चात् 'विश्वविद्यालय' के रूप में उल्लेखित किया गया है) की स्थापना भारतीय संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम के तहत की गई है। विश्वविद्यालय हिंदी भाषा की प्रगति हेतु समर्पित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महाराष्ट्र में स्थापित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका परिसर वर्धा के 212 एकड़ में विकसित हो रहा है। यह विश्वविद्यालय हिंदी के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।
2.	विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न सूची के अनुसार प्रथमतः एक वर्ष के लिए अथवा आगामी निविदा तक (रिट कॉन्फ्रेक्ट हेतु) भोजन की आपूर्ति हेतु संबंधित प्रतिष्ठित एवं अनुभवी कैटरर्स से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
3.	<p>निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:</p> <ul style="list-style-type: none">● निविदा दो भागों में दी जानी आवश्यक है – (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा● तकनीकी निविदा : तकनीकी निविदा में संपूर्ण निविदा दस्तावेज, जिसमें परिशिष्ट-I व परिशिष्ट-II शामिल हैं। सीलबंद लिफाफा (नं.-1) में निविदा प्रपत्र मूल्य एवं बयाना राशि (इ.एम.डी.) का विवरण (परिशिष्ट-II के अनुसार), फर्म से संबंधित सभी विवरण, सभी तरह के नामांकन संबंधी प्रपत्र तथा फर्म का पंजीयन, आयकर पंजीयन संख्या (PAN), जी.एस.टी. पंजीयन, कार्यानुभव, फुड लाइसेंस (अधिकृत प्रतिष्ठान से जारी) पिछले तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर एवं संदर्भ विवरण (Reference details) आदि विधिवत भरा हुआ, निविदा प्रपत्र वांछनीय प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित (परिशिष्ट-I के अनुसार) एवं निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार होने संबंधी अनुबंध का शपथ-पत्र (परिशिष्ट-III के अनुसार) तथा कैटरर्स का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में राशि 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर घोषणापत्र) आदि लगा होना आवश्यक है।● वित्तीय निविदा : वित्तीय निविदा वाले लिफाफा (नं.-2) में परिशिष्ट-IV अनुसार विधिवत भरा हुआ विवरण तथा इसे मुहरबंद एवं हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
4.	<p>तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा वाले दोनों लिफाफे टेप अथवा लाख से मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे (नं.-3) में रखकर तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास" में भोजन की आपूर्ति हेतु निविदा, अंतिम तिथि 17.03.2025 लिखें।</p> <p>☞ टिप्पणी : वित्तीय निविदा का अलग लिफाफा न होने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।</p>
5.	<p>निविदा खोलना:</p> <ul style="list-style-type: none">क) पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र) के नाम दिनांक 17.03.2025 सायं 4.00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय, प्रशासनिक भवन, विश्वविद्यालय परिसर वर्धा में आवेदक द्वारा स्वयं भेजी/जमा की जा सकेगी।ख) कूरियर अथवा ई-मेल आदि किसी अन्य माध्यम से प्रेषित निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।ग) निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा विचारणीय नहीं होगी।घ) डाक के कारण देरी से निविदा पहुँचने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

		<p>घ) तकनीकी निविदाओं में अर्हता पूरी न होने पर ऐसे निविदाकर्ताओं को अयोग्य मानते हुए उनकी वित्तीय निविदाएं नहीं खोली जाएंगी।</p> <p>ड) वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना तथा इस निविदा से संबंधित शुद्धिपत्र एवं/अथवा आवश्यक सूचना आदि परिसर विकास विभाग के सूचना पट्, विश्वविद्यालय की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।</p>
6.	फर्म का चयन एवं अनुबंध :	<p>क) भोजन की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दर (L1) वाली वित्तीय निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जाएगा।</p> <p>ख) विश्वविद्यालय न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता से मोल-भाव का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p> <p>ग) भोजन की दरें एक या अधिक फर्मों की दरें लगभग एक-समान होने पर भोजन की गुणवत्ता एवं मोलभाव के आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जाएगा।</p> <p>घ) चयनित निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ राशि ₹ 500/- के गैर-न्यायिक (नॉन-ज्यूडिशियल) रस्टैम्प पेपर पर नोटरी के समक्ष अनुबंध करना होगा, जिसका पूर्ण खर्च निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p>ङ.) चयनित निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अथवा मोल-भाव के उपरांत फर्म एवं विश्वविद्यालय, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमत न्यूनतम दरें प्रारंभ में दर अनुबंध (रेट कांट्रैक्ट) की तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध होंगी। दोनों पक्षों की सहमति से, अनुबंध की अवधि वार्षिक आधार पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।</p> <p>च) निविदा के मूल्यांकन के समय, उचित प्रतीत होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता से कोई भी जानकारी स्पष्ट करने को कहा जा सकता है। स्पष्टीकरण और जवाब मौखिक न होकर लिखित में होगा और दरों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।</p> <p>छ) निविदाकर्ता द्वारा निविदा के मूल्यांकन, निविदा तुलना, अनुबंध के फैसले के संबंध में विश्वविद्यालय को किसी भी तरह से प्रभावित किए जाने का प्रयास किए जाने की स्थिति में, संबंधित की निविदा को रद्द किया जाएगा तथा बयाना/सुरक्षा राशि जप्त कर ली जाएगी।</p>
7.		निविदा प्रपत्र की मूल्य अनुसूची में दर्शायी गई दरों में काट-छाँट नहीं होनी चाहिए। काट-छाँट की स्थिति में शब्दों में लिखी गई राशि ही मान्य होगी। मूल्य अनुसूची पूर्णतः भरी होने पर ही स्वीकार्य होगी। अपूर्ण मदों की दरें भरने पर निविदा को निरस्त किया जा सकता है। उचित होगा कि दरें टंकित कर भेजी जायें।
8.		निविदाकर्ता द्वारा सभी प्रकार के भोजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री का मेक/कंपनी का उल्लेख संलग्न दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, बिना मेक/कंपनी उल्लिखित निविदा को रद्द किया जा सकता है।
9.		निविदा दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिये।
10.		निविदा, निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदाकर्ता को इन शर्तों की सहमति आदि के संबंध में शपथ—पत्र (कॅरिश्मा—III के अनुसार) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
11.		निविदा दस्तावेज के सभी कॉलम विधिवत एवं अच्छे तरीके से भरे जाने चाहिये और मूल्य अनुसूची पर भोजन की दर अंकों में स्पष्ट रूप में टंकित/लिखी जानी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
12.		एक बार ब्रांड/कंपनी का चुनाव विश्वविद्यालय द्वारा हो जाने के बाद भोजन आपूर्तिकर्ता द्वारा भोजन की पूर्ति हेतु किसी अन्य प्रकार के ब्रांड/कंपनी को व्यवहृत नहीं किया जाएगा।
13.		मदों की प्राप्ति के पश्चात यदि किसी वस्तु के ब्रांड/कंपनी में भिन्नता अथवा खराबी पाई गई, तो विश्वविद्यालय चयनित फर्म पर आर्थिक दंड अधिरोपित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14.		चयनित कैटरर्स द्वारा मेस भवन का उपयोग करने हेतु राशि ₹ 1,000.00 (₹ पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह एक साल तक देय होगा। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार राशि में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
15.		चयनित कैटरर्स द्वारा मेस से पानी उपयोग करने हेतु राशि ₹ 500.00 (₹ पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह एक साल तक देय होगा। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार राशि में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
16.		चयनित कैटरर्स द्वारा प्रथमतः मेस में बिजली का उपयोग करने पर प्रति माह ₹ 2,500/- (₹ दो हजार

MSME प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में परिभाषित किया गया है अथवा संबंधित मंत्रालय के केंद्रीय क्रय संगठन के साथ अथवा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा मान्यता प्राप्त विभाग अथवा स्टार्ट-अप के रूप में पंजीकृत हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)/ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं को तकनीकी बोली (GFR-2017 के नियम-170 के अनुसार) के लिए निविदा की गई वस्तु के लिए मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए।

28. सुरक्षा राशि (Security Money) :

चयनित निविदाकर्ता(ओं) के साथ विश्वविद्यालय एक वर्ष के लिए दर अनुबंध (Rate Contract) करेगा, उस/उन निविदाकर्ता(ओं) को :

सुरक्षा राशि (Security Money) राशि रु. 16,500.00 (₹ सोलह हजार पाँच सौ मात्र) उनकी फर्म का चयन पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 7 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। यह राशि बैंक गारंटी (18 माह अवधि के लिए वैध) के रूप में हो सकती है अथवा किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत मांगपत्र (Demand Draft), जो केवल 'वित्ताधिकारी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय' के पक्ष में वर्धा में देय होनी चाहिए। निविदाकर्ता के लिखित आग्रह पर, धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जा सकता है तथा निविदाकर्ता को यह राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् 60 दिन के बाद बिना ब्याज के वापस की जाएगी।

सुरक्षा राशि 7 दिन के अन्दर प्राप्त न होने की स्थिति में धरोहर राशि को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर संबंधित फर्म के साथ इस कार्य को समाप्त किया जा सकता है किंतु अपरिहार्य स्थितियों में साक्ष्यों सहित निविदाकर्ता के लिखित आवेदन की निर्धारित 15 दिन की समाप्ति से पूर्व सूचना से विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की सहमति के आधार पर इसे निर्णयानुरूप आगे भी बढ़ाया जा सकता है और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

29. भुगतान

- क) भोजन के दौरान किसी भी तरह की हानि व क्षति की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की स्वयं की होगी। किसी विशेष परिस्थिति में, इस प्रकार का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।
- ख) भोजन की सेवाकर (जी.एस.टी.), संस्था का पंजीकरण संख्या और आयकर पंजीकरण (पैन) व आधार कार्ड की जानकारी एवं अन्य वैध दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बिल में समस्त करों (Taxes) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर प्रस्तुत दर में ही कर राशि सम्मिलित मानी जाएगी।

30. मेस से संबंधित नियम एवं शर्तें :-

- क) चयनित कैटरर्स के कर्मियों को यूनिफार्म, हैन्ड ग्लोव्ज़, एप्रैन एवं कैप पहनना अनिवार्य होगा।
- ख) मेस से बाहर छात्रावास अधीक्षक के बिना अनुमति भोजन ले जाना वर्जित होगा।
- ग) शाकाहारी भोजन ही मेस में पकाया एवं परोसा जाएगा।
- घ) चयनित कैटरर्स द्वारा मेस कमेटी के साथ प्रतिमाह मेस संबंधित एक बैठक करनी होगी।
- ड) चयनित कैटरर्स को मेस में फर्स्ट-एड बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
- च) चयनित कैटरर्स को सर्वथा मेस की साफ-सफाई व्यवस्थित रखनी होगी, साथ ही किचन एवं डायनिंग एरिया को विशेष रूप से साफ रखना होगा।
- छ) किचन सामग्री बर्तन, क्रॉकरी, फर्नीचर, वॉटर कूलर की सफाई की जिम्मेदारी कैटरर्स की होगी।
- ज) चयनित कैटरर्स को किचन, मेस एवं वॉश रूम को सुव्यवस्थित रखना होगा, साथ ही वॉश बेसिन के लिए हैन्ड वॉश एवं टॉवेल उपलब्ध कराने होंगे।
- झ) चयनित कैटरर्स अपने मेस कर्मी को साफ-सफाई रखने हेतु उचित प्रशिक्षण देना होगा।
- ज) विश्वविद्यालय द्वारा मेस की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता एवं सामग्रियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

उपभोज्य सामग्री (ब्रान्ड्स)

मेस के भोजन व्यवस्था में उपयोग करने वाली सामग्री	मेस के भोजन व्यवस्था में उपयोग करने वाली सामग्रियों की ब्रांड / कंपनी
नमक	टाटा, अन्नपूर्णा, नेचर फ्रेश
आटा	पंतजलि गेहूँ SPG आटा, आशीर्वाद, फॉर्चून, शक्तिमोग, लक्ष्मी भोग, राजधानी, पिल्सबरी, अन्नपूर्णा, नेचर फ्रेश, आदि
चावल	दावत, ईद का चाँद, लाल किला, जूनागढ़ कालीमूँछ, कोहिनूर, महाराजा, विमान, 5220, श्री श्रीतत्व, पंतजलि, भाग्य, इंडिया गेट, श्री लालमहल, श्रीराम आदि
सरसों तेल	फॉर्चून, धारा, डाबर, इंजन, पंतजलि, इमामी, भाग्य, अन्वेषण, श्री आशीर्वाद, 24 मंच ऑर्गेनिक, कच्ची घानी, बैल कूवेल्डू, काला घोड़ा, फ्रेश तेल / नेचर फ्रेश तेल
रिफाइंड तेल	भाग्य, सफोला, सनड्राप, धारा, इमामी, पंतजलि, मदर डे लाइट
मसाला	एम.डी.एच. मसाला, कैच, एवरेस्ट, मदर डेरी, लक्ष्मी फूड एवं मसाला (परब)
पनीर	अमूल, मदर डेरी, शिवामृत, गोरस भंडार
कैचप	मैगी, किसान, हीन्ज
पापड़	लिज्जत आदि
गाय का दूध (आधी क्रीम)	अमूल, मदर डेरी, गोवर्धन, शिवमूर्ति
चाय	ब्रुक ब्रॉन्ड, लिप्टन, टाटा, ताजा
कॉफी	नेसकैफे, ब्रू
सोया	न्यूट्रीला
मटर	सफल आदि
कोलम चावल	रॉयल, दावत
बासमती चावल	एवरी डे, दावत
हॅन्ड वॉश	लाइफबॉय, डेटाल, आदि
सभी बिना कंपनी के	मेस कमेटी द्वारा निर्धारित

नोट : उपर्युक्त के अतिरिक्त एफपीओ/एफएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी के सामग्री को मेस कमेटी द्वारा स्वीकृति के पश्चात कैटरर्स को उपयोग करना होगा।

32. श्रम अधिनियम:

- क) चयनित कैटरर्स को 18 साल के कम आयु के किसी भी कर्मी से सेवा लेना वर्जित होगा।
- ख) चयनित कैटरर्स को मेस कर्मियों को राज्य एवं केंद्र के अधिनियम के तहत वेतन भुगतान करना होगा।
- ग) चयनित कैटरर्स को पुरुष एवं महिला कर्मियों को समान वेतन एवं सुविधा प्रदान करनी होगी।
- घ) चयनित कैटरर्स द्वारा उक्त नियम का पालन न करने पर वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
- ड) विश्वविद्यालय द्वारा अन्य जो भी नियम समय-समय पर लागू होंगे उनका पालन सुनिश्चित करना होगा।

मेस की दैनिक भोजन की व्यवस्था हेतु समय-सारणी निम्नानुसार होगी।

भोजन/अल्पाहार	सोमवार से शुक्रवार	शनिवार एवं रविवार
नाश्ता (ब्रेकफास्ट)	7:30 AM to 9.30 AM	7:45 AM to 10:00 AM
दोपहर का भोजन (लंच)	1:00 Noon to 2:30 PM	1:00 PM to 3:00 PM
रात्रि भोजन (डिनर)	7:30 PM to 10:00 PM	7:30 PM to 10:00 PM

	<p>अथवा स्वीकृत विस्तारित अवधि के अन्दर भोजन आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफल रहा अथवा उसके द्वारा अनुबंध के किसी भी दायित्व के उल्लंघन की स्थिति में कोई अन्य उपाय न होने पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।</p> <p>ग) विश्वविद्यालय लिखित सूचना द्वारा और चयनित फर्म को बिना कोई मुआवजा दिए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p> <p>घ) दोनों पक्षों द्वारा 30 (तीस) दिनों की लिखित सूचना के बाद अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।</p>
41.	<p>निविदा की समाप्ति :</p> <p>निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध को बिना किसी सूचना के किसी भी समय विश्वविद्यालय द्वारा अपने विवेकाधिकार से रद्द किया जा सकता है।</p> <p>विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के पास बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>
42.	<p>विवाद निस्तारण :</p> <p>किसी भी तरह का विवाद होने पर माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। विवादों का न्याय क्षेत्र केवल वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।</p>
☞	<p>उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र, निविदा दस्तावेज शुल्क विवरण, शपथ-पत्र एवं भोजन की मूल्य अनुसूची क्रमशः परिशिष्ट-1 से 3 पर संलग्न हैं। कृपया सूची में दर्शायी गई मदों के आगे ब्रांड स्पष्ट रूप से लिखें या टंकित करें।</p>

कुलसचिव-

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

परिशिष्ट (Appendix)-I

तकनीकी निविदा (निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने हेतु)

1.	कार्य की प्रकृति	:
2.	निविदाकर्ता फर्म का पूरा नाम	:
3.	निविदाकर्ता फर्म का पंजीकृत पूरा पता (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)	:
4.	निविदाकर्ता का मोबाइल नं.	:
5.	ई-मेल आई.डी.	:
6.	निविदाकर्ता का आधार कार्ड क्रमांक	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
7.	फर्म पंजीयन संख्या (तिथि सहित)	:
8.	आयकर पंजीकरण संख्या (PAN) (तिथि सहित)	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
9.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) पंजीयन संख्या	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
10.	FSSAI (Food) Licence Certificate	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
11.	Labour Licence Certificate	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
12.	कार्यानुभव (वर्षों में) (आवश्यकतानुसार विवरण अलग से संलग्न करें)	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
13.	फर्म का पिछले तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों (01.04.2021 से) का ITR	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
14.	फर्म का पिछले तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों (01.04.2021 से) की Balance Sheet	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
15.	फर्म का पिछले तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों (01.04.2021 से) का Turn Over	: (स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न)
16.	संदर्भ विवरण (Reference Details) कृपया किन्हीं दो सरकारी अर्द्ध- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) स्वायत्त संस्था अथवा प्रतिष्ठित गैर-शासकीय एजेन्सियों का सम्पर्क विवरण दें जिनसे आपकी फर्म के संबंध में आवश्यकता होने पर जानकारी ली जा सके।	[1] :
		[2] :

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त क्र. 1 से 16 पर दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः मूल दस्तावेजों के अनुसार एवं सत्य है तथा निविदाकर्ता इस निविदा को भरने हेतु फर्म की ओर से अधिकृत है।

¤ टिप्पणी : सभी वांछनीय दस्तावेजों पर निविदाकर्ता के पूर्ण अथवा लघु हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगा होना आवश्यक है। समस्त दस्तावेज लिफाफा— [1] में तथा अन्य दस्तावेज लिफाफा— [2] में रखें।
दिनांक :

स्थान :

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

परिशिष्ट (Appendix)-II

निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का विवरण (निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने हेतु)

1. निविदा दस्तावेज शुल्क राशि ₹ 1000/- (₹ एक हजार मात्र) (वापस नहीं किया जाएगा) –

डिमांड ड्राफ्ट संख्या	
डिमांड ड्राफ्ट की तिथि	
बैंक द्वारा निर्गत	

2. (क) धरोहर (ई.एम.डी.) राशि ₹ (शब्दों में.....)
(बिना ब्याज के वापस की जाएगी) –

डिमांड ड्राफ्ट संख्या	
डिमांड ड्राफ्ट की तिथि	
बैंक द्वारा निर्गत	

(ख) उपर्युक्त बिंदु-2 (क) निविदाकर्ता पर लागू नहीं होता है। चूंकि निविदाकर्ता को _____

कारण से भारत सरकार के नियमानुसार, धरोहर राशि जमा करने से छूट प्राप्त है। तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न है, जिसकी मूल प्रति, मांगने पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा उनके नामित प्रतिनिधि अथवा गठित समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत की जाएगी।

अनुलग्नक : उपरोक्तानुसार दो/एक डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में तथा धरोहर राशि जमा करने से छूट संबंधी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक :

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर,
नाम एवं मुहर

स्थान :

समय सारणी

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स
वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

सुबह का नारता – सुबह 8 बजे से 10 बजे तक
दोपहर का भोजन – दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक
रात्रि का भोजन – रात 8 बजे से 10 बजे तक
नोट – छात्र कृपया समयानुसार ही मेस की सुविधा का उपयोग करें।

भोजन व्यवस्था हेतु मेस मेन्यू

चावल	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	शनिवार
नारता पोहा (150 ग्राम), मुँगु/काला रसगा, चाय	पुरी (4 पीस). आलू, चना चाय	इडली (4 पीस). चाय	सेंडविच (दाखंगल 3 पीस), विश चाय	सूजी उपमा (150 ग्राम), दिथ नारियल चटनी, साबूदाना खिचड़ी (50 ग्राम), चाय	सादा पराठा (3 पीस), विश आलू, भूजिया सब्जी, चाय	सादा पराठा (3 पीस), विश आलू, भूजिया सब्जी, चाय	आलू, पराठा (2 पीस), व दहो (50 ग्राम) एवं चटनी
दोपहर का भोजन							
चावल दाल रोटी/चपती सब्जी डिक	चावल सादा चना दाल रोटी मिक्स सब्जी छोला	चावल सादा अरहर दाल भट्ठा (2 पीस) बैंगन/मौसमी रसेदार सब्जी	चावल सादा कढ़ी पकोड़ा रोटी	चावल सादा कढ़ी पकोड़ा रोटी	चावल सादा कठहल / कद्दू/मौसमी रसेदार सब्जी	चावल सादा मिक्स दाल	जीरा राइस रोटी राजमा
सलाद	छाँच सलाद	छाँच सलाद	छाँच	छाँच	छाँच	सलाद	सलाद
रात्रि का भोजन							
चावल दाल रोटी/चपती सब्जी स्वीट डिश	चावल सादा मसूर दाल रोटी लौकी/मौसमी रसेदार सब्जी	चावल सादा मुँग दाल छिलका रोटी	चावल सादा राजमा रोटी	चावल सादा दाल फ्रय रोटी	चावल सादा मुँग दाल छुली रोटी	चिंचड़ी / मसाला चावल	अरहर दाल रोटी मसाला पनीर
सलाद	सलाद	सलाद	सलाद	सलाद	सलाद	सलाद	गुलाब जामुन (2 पीस)
1. दही की मात्रा दिन और रात के खाने में लगभग 50 ग्राम निर्धारित है। 2. चाय की मात्रा प्रति छात्र एक गिलास लगभग 90 ML निर्धारित है। 3. नास्ते में निर्धारित मात्रा से अधिक लेने पर अतिरिक्त राशि (आलू, पराठा-10/- – रुपए, भट्ठा-10/- – रुपए, पौहा-10/- – रुपए, साबूदाना खिचड़ी-10/- – रुपए, पुरी-5/- – रुपए, इडली-5/- – रुपए, सेंडविच-5/- – रुपए, सादा पराठा- 5/- रुपए, प्रति नग मेस संचालक को तुरंत शुगान करना होगा।) 4. छाँच की मात्रा प्रति छात्र एक चाय गिलास लगभग 90 ML ही निर्धारित है। 5. पनीर की मात्रा प्रति छात्र लगभग 150 GM बना हुआ ग्रेवी सहित ही निर्धारित है। 6. मेस संचालक आलू पराठे का साइज रेटेड ही रखेंगे, छोटा नहीं। 7. सलाद – (खीर, चाल, गाजर, चुकंदर एवं कढ़ी) प्रतिदिन देनी होगी।							

शपथ—पत्र

निविदाकर्ता द्वारा फर्म के पत्र—शीर्ष (लेटर—हेड) पर भरे जाने हेतु

1. सत्यापित किया जाता है कि मैंने/हमने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित संपूर्ण विवरण एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और तदुपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भोजन की दरें विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मूल्य अनुसूची के प्रपत्र पर ही अंकित करता/करती/हूँ/करते हैं तथा वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि निविदा दस्तावेज में दर्शायी गई सभी शर्तें मैंने/हमने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली हैं और मुझे/हमें स्वीकार हैं। मेरी/हमारी फर्म का चयन होने की स्थिति में, विश्वविद्यालय से अनुबंध के समय अन्य शर्तें (यदि हों) भी मुझे/हमें स्वीकार्य होंगी।
2. यह कि स्वयं निविदाकर्ता अथवा मेरी/हमारी फर्म को किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय सरकारी संस्था एवं विश्वविद्यालय आदि किसी स्वायत्त संस्था द्वारा पिछले पांच वर्षों में काली सूची में नहीं डाला (ब्लैक—लिस्ट नहीं किया) गया है।
3. यह कि मेरे/हमारे द्वारा परिशिष्ट (Appendix)-I, परिशिष्ट (Appendix)-II, परिशिष्ट (Appendix)-III में मांगे गए सभी स्व—सत्यापित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। समस्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज सही हैं और विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर इनकी मूल प्रतियां विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा चयन प्रक्रिया हेतु गठित समिति के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
4. यह कि मुझे/हमें भली—भांति विदित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथमतः इसे कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। सम्भव न होने पर, न्याय हेतु न्याय क्षेत्र, वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

दिनांक :

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

स्थान :

फर्म अथवा फर्म के मालिक के नाम का वैध मेल आई. डी. :
कार्यरत दूरभाष/ मोबाइल नं.

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

परिशिष्ट (Appendix)-IV

वित्तीय निविदा (निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने हेतु)

छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास में भोजन व्यवस्था हेतु निविदा

		अंको में (₹)	शब्दों में
1	दर प्रति दिन प्रति विद्यार्थी (₹) (जी.एस.टी. के बिना)		
2	दर प्रति दिन प्रति विद्यार्थी (₹) (जी.एस.टी. के साथ)		

टिप्पणी :

- कृपया भोजन की केवल एक ही दर अंकित करें। इसमें किसी तरह की काट-छॉट स्वीकार्य नहीं होगी।
- समस्त दरें कर (GST) सहित हों।

निविदा के इस पूर्ण प्रपत्र पर पर निविदाकर्ता के पूर्ण अथवा लघु हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगा होना आवश्यक है। मैं/हम रेट रनिंग कॉन्फ्रैक्ट की अवधि के लिए उपरोक्त उद्घृत भोजन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ/हैं। यदि मेरी/हमारी बोली अधिकतम मेन्यू अनुसार सबसे कम लगती है, तो मैं/हम अन्य बोलीकर्ताओं द्वारा सबसे कम बोली जाने वाली कीमत पर भोजन व्यवस्था के लिए उसी कम दर पर आपूर्ति हेतु सहमत हूँ/हैं। मैं/हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की संतुष्टि के लिए बाजार निर्धारित दर से ऊपर प्रारूप में उल्लिखित भोजन मेन्यू के अनुसार आपूर्ति करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।

दिनांक :

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

स्थान :